न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
115 / 2018

तारीख फैसला
13.08.2022

उनवान

1– रामकल्याण आत्मज केसरीलाल जाति धाकड निवासी पडासल्या तहसील दीगोद जिला कोटा।

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री रघुवीर वेष्णव एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

सक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता संख्या नया 19 व पुराना 18 पर खसरा नम्बर 9 की 0.86 हेक्टर भूमि वाके ग्राम पडासल्या तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 संलग्न है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम कल्याण अंकित है जो गलत है।

यह कि वादी का नाम रामकल्याण है तथा वादी उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में रामकल्याण के स्थान पर कल्याण सहवन व गलती से दर्ज हो गया है। जबकि वास्तविक नाम रामकल्याण है जब कि ग्राम पडासल्या की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 206 पर वादी का नाम रामकल्याण दर्ज है, जो सही है।

यह कि वादी का नाम रामकल्याण होने के कारण वादी को फसल नुकसान मुआवजा नही मिल रहा है। ओर वादी को सहकारी से ऋण आदि लेने में भी असुविधा हो रही है। वादी के पहचान पत्र वोटर आई डी, आधार कार्ड, राशन कार्ड , तथा पंचायत तस्दीक में वादी का नाम रामकल्याण ही अंकित है। इस कारण कल्याण के स्थान पर रामकल्याण दर्ज किया जाना आवश्यक है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम पडासल्या तहसील दीगोद में वादी के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता संख्या नया 19 व पुराना 18 पर खसरा नम्बर 9 की 0.86 हेक्टर भूमि में वादी का नाम कल्याण पुत्र केसरीलाल के स्थान पर रामकल्याण पुत्र केसरीलाल दर्ज किये जाने और राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने हेतु प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harjinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:55:59 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Scanned by CamScanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार कल्याण पुत्र केसरीलाल व रामकल्याण पुत्र केसरीलाल एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। तहसीलदार दीगोद की ओर से अभिशंषा की है कि वादी का नाम कल्याण पुत्र केसरीलाल के स्थान पर रामकल्याण पुत्र केसरीलाल दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पडासल्या तहसील दीगोद में वादी के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता संख्या नंया 19 व पुराना 18 पर खसरा नम्बर 9 की 0.86 हेक्टर भूमि में वादी का नाम कल्याण पुत्र केसरीलाल के स्थान पर रामकल्याण पुत्र केसरीलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को सरे राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:55:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– रामकल्याण आत्मज केसरीलाल जाति धाकड निवासी पडासल्या तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री रघुवीर वेष्णव एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

मिसल नं 115/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पडासल्या तहसील दीगोद में वादी के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता संख्या नंया 19 व पुराना 18 पर खसरा नम्बर 9 की 0.86 हेक्टर भूमि में वादी का नाम कल्याण पुत्र केसरीलाल के स्थान पर रामकल्याण पुत्र केसरीलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 13.08.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:55:59 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Scanned by CamScanner